

अधिसूचना

राज्य के अस्पतालों में चिकित्सा पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को 24 X 7 सेवा के सुचारु संचालन हेतु उपस्थित सुनिश्चित करने के लिए दूरभाष द्वारा अनुश्रवण के क्रम में कुल 28 चिकित्सा पदाधिकारी अनुपस्थित पाये गये थे। सभी चिकित्सा पदाधिकारियों से विभागीय पत्रांक 115(9) दिनांक 24.01.2017, 245(9) दिनांक 22.02.17 एवं अन्तिम स्मार पत्र 764(9) दिनांक 14.07.2017 के द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गई थी। जिसमें मात्र 16 चिकित्सा पदाधिकारियों द्वारा स्पष्टीकरण का जवाब दिया गया।

16 चिकित्सा पदाधिकारियों में मात्र 5 चिकित्सा पदाधिकारी (डा० कविता सिन्हा, प्रा० स्वा० केन्द्र, मशरख, छपरा, डा० संजय कुमार, प्रा० स्वा० केन्द्र पीपरिया, लखीसराय, डा० दिवाली प्रसाद, सदर अस्पताल वैशाली, डा० गीरीश कुमार, सदर अस्पताल समस्तीपुर, डा० रत्नेश्वर प्रसाद सिंह, सदर अस्पताल, छपरा) का स्पष्टीकरण संतोषजनक पाया गया शेष का स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाया गया।

12 चिकित्सा पदाधिकारियों द्वारा कोई भी स्पष्टीकरण का उत्तर समर्पित नहीं किया गया। इन्हें अपना प्रतिउत्तर समर्पित करने के लिए स्मारित भी किया गया लेकिन उनसे कोई भी प्रतिउत्तर प्राप्त नहीं हो सका। इससे प्रतीत होता है कि उन्हें अपने बचाव बयान में कुछ नहीं कहना है अतः अनुश्रवण के दौरान अद्योत्प्लेखित अनुपस्थित पाये गये चिकित्सा पदाधिकारियों के विरुद्ध निम्नलिखित लघु दंड अधिरोपित करने का सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्णय लिया गया है:-

(क) असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतन वृद्धि पर रोक।

(ख) एक दिन के वेतन भुगतान पर रोक (लेकिन इसकी गणना पेंशन भुगतान के लिए की जायेगी)

क्र०सं०	नाम/ पदनाम	अनुपस्थिति तिथि	वर्तमान पदस्थापन स्थान
1.	डा० विनोद कुमार सिन्हा, चिकित्सा पदाधिकारी	21.12.16 प्रथम पाली	सदर अस्पताल, छपरा
2.	डा० श्याम सुन्दर प्रसाद, चिकित्सा पदाधिकारी	21.12.16 प्रथम पाली	सदर अस्पताल छपरा
3.	डा० राकेश कुमार राय, चिकित्सा पदाधिकारी	21.12.16 प्रथम पाली	सदर अस्पताल छपरा
4.	डा० मिथिलेन्द्र कुमार सिंह, चिकित्सा पदाधिकारी	21.12.16 प्रथम पाली	सदर अस्पताल छपरा
5.	डा० संजीव रंजन, चिकित्सा पदाधिकारी	21.12.16 प्रथम पाली	सदर अस्पताल छपरा
6.	डा० उमेश शर्मा, चिकित्सा पदाधिकारी	21.12.16 प्रथम पाली	प्रा०स्वा० केन्द्र मौली, छपरा
7.	डा० एस० के० गोनका, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी	24.12.16 द्वितीय पाली	प्रा० स्वा० केन्द्र बिरपुर, बेगूसराय
8.	डा० विनोद कुमार सतारा, चिकित्सा पदाधिकारी	24.12.16 द्वितीय पाली	प्रा० स्वा० केन्द्र बिरपुर, बेगूसराय
9.	डा० भरत चन्द्र, चिकित्सा पदाधिकारी	11.01.17 प्रथम पाली	प्रा०स्वा०केन्द्र, पटोरी, समस्तीपुर
10.	डा० भूषण कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी (संविदा)	11.01.17 प्रथम पाली	प्रा०स्वा०केन्द्र, पटोरी, समस्तीपुर
11.	डा० कुमार अमीत, दन्त चिकित्सक (संविदा)	22.12.16 प्रथम पाली	प्रा० स्वा० केन्द्र पलासी, अररिया
12.	डा० दीपक कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी	21.12.16 प्रथम पाली	सदर अस्पताल, छपरा।

13.	डा० गोपाल शरण, चिकित्सा पदाधिकारी	23.12.16 प्रथम पाली	सदर अस्पताल, बांका
14.	डा० उत्तम कुमार, दन्त चिकित्सक	21.12.16 प्रथम पाली	सदर अस्पताल, छपरा
15.	डा० विनिता कुमार, दन्त चिकित्सा पदाधिकारी	21.12.16 प्रथम पाली	प्रा० स्वा० केन्द्र, मॉली, छपरा
16.	डा० नम्रता, दन्त चिकित्सा पदा०	23.12.16 प्रथम पाली	प्रा० स्वा० केन्द्र भगवानपुर, वैशाली
17.	डा० स्वपनिल चन्द्रा, चिकित्सा पदाधिकारी	24.12.16 द्वितीय पाली, 09.01.17 प्रथम पाली	रेफरल अस्पताल, नाथनगर, भागलपुर
18.	डा० मृत्युंजय प्रसाद सिंह, चिकित्सा पदाधिकारी	09.01.17 प्रथम पाली	प्रा०स्वा० केन्द्र इस्माइलपुर, भागलपुर
19.	डा० श्रीमती विजयलक्ष्मी शर्मा, चिकित्सा पदाधिकारी	11.01.17 प्रथम पाली	प्रा० स्वा० केन्द्र, नवानगर, बक्सर
20.	डा० अली हसन, चिकित्सा पदाधिकारी (संविदा)	22.12.16 प्रथम पाली	प्रा० स्वा० केन्द्र, पलासी, अररिया
21.	डा० रविश चन्द्र मिश्रा, चिकित्सा पदाधिकारी (संविदा)	09.01.17 प्रथम पाली	रेफरल अस्पताल, पीरपैती, भागलपुर
22.	डा० रविन्द्र कुमार प्रसाद, चिकित्सा पदाधिकारी (संविदा)	22.12.16 प्रथम पाली	प्रा० स्वा० केन्द्र, करपी, अरवल
23.	डा० मुरारी शरण, दन्त चिकित्सा पदा०, (संविदा)	28.12.16 प्रथम पाली	प्रा० स्वा० केन्द्र जौगापट्टी, चम्पारण।

उपरोक्त सभी चिकित्सा पदाधिकारियों को दंड अधिरोपित किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(नागेन्द्र प्रसाद)

सरकार के अवर सचिव,

ज्ञापांक: 940(9) /स्वा०, पटना, दिनांक: 31/08/17

प्रतिलिपि:— महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार पटना/ अवर सचिव, वित्त(वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:— संबंधित कोषागार पदाधिकारी, छपरा, बेगूसराय, समस्तीपुर, अररिया, बांका, वैशाली, भागलपुर, बक्सर, अरवल एवं पश्चिमी चम्पारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:— सिविल सर्जन छपरा, बेगूसराय, समस्तीपुर, अररिया, बांका, वैशाली, भागलपुर, बक्सर, अरवल एवं पश्चिमी चम्पारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:— जिला पदाधिकारी, छपरा, बेगूसराय, समस्तीपुर, अररिया, बांका, वैशाली, भागलपुर, बक्सर, अरवल एवं पश्चिमी चम्पारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:— कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:— माननीय मंत्री (स्वा०) के आप्त सचिव/प्रधान सचिव स्वा० के निजी सहायक/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार पटना/ प्रशाखा पदाधिकारी 1,2,3,5,7,8,10,11,12,17 एवं 18 (प्रो० कोषांग) स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:— आई०टी०मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव